रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22092023-248899
CG-DL-E-22092023-248899

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4028] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 22, 2023/भाद्र 31, 1945
No. 4028] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 22, 2023/BHADRA 31, 1945

कोयला मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2023

का.आ. 4196(अ).— कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतदद्वारा तारीख 30 मार्च, 1993 के का.आ. सं. 783 द्वारा कोयला मंत्रालय में भारत सरकार के आदेश में निम्नलिखित संशोधन करती है:-

2. उक्त आदेश में, निबंधन और शर्त संख्या (5) के पश्चात, निम्नलिखित निबंधन और शर्तें शामिल की जाएंगी, अर्थात्:-

"(6) खंड (4) के होते हुए भी, सरकारी कंपनी ऐसी निहित कुल भूमि में से खंड (7) में यथा-निर्दिष्ट भूमि के उक्त भाग को, तारीख 22 अप्रैल, 2022 के का.ज्ञा. सं. 43022/1/2020-एलएआईआर द्वारा कोयला मंत्रालय में भारत सरकार द्वारा कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 के तहत अधिग्रहित भूमि के उपयोग के लिए जारी नीतिगत दिशा-निर्देशों के अनुसार किसी भी अन्य व्यक्ति को पट्टे पर दे सकती है।

(7) तारीख 30 मार्च, 1993 के उपर्युक्त पत्र द्वारा उक्त सरकारी कंपनी को कुल 12209.33 एकड़ (लगभग) भूमि निहित की गई थी। धारा 9(1) के तहत जारी और भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित तारीख 29 अक्टूबर, 1990 की अधिसूचना का.आ. 3055 के अनुसार, ग्राम- टिकिलिपारा, सीरमाल, गोपालपुर, तुमुलिया,

कार्लिकछार, कुल्दा, बांकिबहल, बांलिगा, गर्जनबहल, बांगुरकेला, किरिप्सिरा, जाप्ती जंगल तहसील- हेमगिर, जिला- सुंदरगढ़, ओडिशा में 12209.33 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई थी, जिसमें से ग्राम- तिकिलिपारा [खाता-90 और प्लाट सं. 600(भाग), 604,605,607 तथा 616] की 73.62 एकड़ भूमि का उपयोग तारीख 22 अप्रैल, 2022 के नीतिगत दिशानिर्देश में उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन, 99 वर्षों की पट्टा अवधि हेतु पुनर्वास स्थल के लिए किया जा सकता है।

[फा. सं. 43022/13/2023-एलएआईआर]

भबानी प्रसाद पति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL

ORDER

New Delhi, the 22nd September, 2023

S.O. 4196(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby make the following amendments in the Order of the Government of India in the Ministry of Coal vide S.O. No. 783 dated 30th March 1993: -

2. In the said Order, after terms and condition number (5), the following terms and condition shall be inserted, namely:-

"(6) Notwithstanding clause (4), the Government company may grant the said part of land as specified in clause (7) out of the total land so vested, on lease to any other person in accordance with the Policy Guidelines for use of land acquired under the Coal Bearing Areas (Acquisition & Development) Act, 1957 issued by Government of India in the Ministry of Coal vide OM No. 43022/1/2020-LAIR dated 22nd April, 2022; and

(7) The total 12209.33 Acres (approximately) land was vested to the said Government company vide above letter dated 30th March 1993. As per Notification S.O. 3055 dated 29th October 1990, issued under section 9(1) and published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), the 12209.33 Acres of land was acquired in villages – Tikilipara, Siarmal, Gopalpur, Tumulia, Karlikachhar, Kulda, Bankibahal, Balinga, Garjanbahal, Bangurkela, Kiripsira, Japti Jungle Tahsil- Hemgir, District- Sundargarh, Odisha, out of which 73.62 Acres land of village-Tikilipara [Khata -90 & plot number 600(Part), 604, 605, 607 & 616] can be used for Resettlement Site for a lease period of 99 years, subject to fulfilment of the terms and conditions mentioned in the Policy Guidelines dated 22nd April, 2022."

[F. No. 43022/13/2023-LAIR]

BHABANI PRASAD PATI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
AMIT KUMAR JAISWAL